



भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GO1028825

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
कोलकाता KOLKATA-700 019

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015)

मैं, सी एस सिंघी, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) के अनुपालन अधिकारी ने निम्नलिखित अनुपालन आवश्यकता की जांच की है और प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (पीआईटी विनियम) के विनियम 3(5) और 3(6) के संरचित डिजिटल डेटाबेस प्रावधानों को बनाए रखा है:

क्र.सं.	अनुपालन आवश्यकता	हाँ/नहीं	राय/टिप्पणी
1.	क्या कंपनी के पास एक संरचित डिजिटल डेटाबेस है?	हाँ	
2.	क्या ऐसे व्यक्ति पर नाम और पैन सहित नियंत्रण मौजूद है जिनकी पहुँच एसडीडी के पढ़ने/लिखने के लिए है?	हाँ	
3.	क्या सभी यूपीएसआई को डेटाबेस में शामिल कर लिया गया है। यदि नहीं तो उन घटनाओं का विवरण दें जिनका कैप्चर नहीं किया गया है और उसका क्या कारण है?	हाँ	
4.	क्या प्राप्तकर्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित किया गया था कि जो जानकारी उन्हें शीघ्र ही प्राप्त होगी वह यूपीएसआई है और प्रविष्टि को यूपीएसआई डेटा अग्रेषित करने से पहले डेटाबेस में दर्ज कर लिया गया है। यदि नहीं, तो उन घटनाओं का विवरण जो कैप्चर नहीं किए गए हैं और उसका कारण क्या है?	हाँ	
5.	क्या दिनांक और समय सहित यूपीएसआई की प्रकृति अंकित (captured) कर ली गई है?	हाँ	
6.	क्या सूचना साझा करने वाले व्यक्तियों का नाम पैन या किसी अन्य पहचानकर्ता के साथ लिया गया है?	हाँ	
7.	क्या जिन व्यक्तियों के साथ जानकारी साझा की गई है उनका नाम पैन या किसी अन्य पहचानकर्ता के साथ लिया गया है?	हाँ	
8.	क्या डेटाबेस को आंतरिक रूप से बनाए रखा गया है?	हाँ	
9.	क्या ऑडिट ट्रेल बनाए रखा गया है?	हाँ	
10.	क्या टाइम स्टैम्पिंग बनाए रखा जाता है?	हाँ	
11.	क्या डेटाबेस में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है?	हाँ	

12	डेटाबेस में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न होने को सुनिश्चित करने के लिए किये गये अन्य उपाय?	लागू नहीं	
----	---	-----------	--

टिप्पणी: लेखापरीक्षा की जानकारी में वह अवधि शामिल होनी चाहिए जब इस तरह की जानकारी प्रकटीकरण की तारीख तक एसडीडी में डाली गई थी।

गैर-अनुपालन को नहीं देख पाने वाले दिनों की संख्या

इसके अलावा, मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि कंपनी को समाप्त तिमाही/छमाही के दौरान 4 घटनाओं को कैप्चर करने की आवश्यकता थी और उक्त आवश्यक घटनाओं में से 4(चारों) को कैप्चर कर लिया है।

कृते: हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

ह0/

(सी.एस.सिंघी)

कंपनी संचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक 09-08-2022

स्थान: कोलकाता